सामान्य निर्देश
(General Instructions)

वर्ष 2018–19 में हरियाणा राज्य में कस्टम हायरिंग सैन्टर के लिए कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना हेतू लाभार्थी आवेदक–किसानों के समूह के लिए हिदायतें –

1. **नई केन्द्रीय सैक्टर स्कीम ''प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन फॉर इन–सीटू मैनेजमैन्ट ऑफ क्रोप रैजीडयू इन दा स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उतर प्रदेश एण्ड एन0सी0टी0 ऑफ दिल्ली''** के अधीन कस्टम हाएरिंग सेंटर (सी0एच0सी0) की स्थापना के लिए इच्छुक किसानों के समूह, किसानों की सहकारी सोसाइटियों, एफ0पी0ओ, स्वयं सहायता समूह, रजिस्टर्ड किसान सोसाइटी/किसान समूह, प्राईवेट उद्यमी, महिला किसान समूह या स्वयं सहायता समूह से आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

2. आवेदन फार्म दिनांक 02–05–2018 से संबंधित उप–कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में उपलब्ध होगें **(आवेदन फार्म**–Annexure-A)

3. आवेदन फार्म को जमा करने की अन्तिम तिथि 15–06–2018 (सायं 05:00 बजे तक)।

4. परियोजना की लागत न्यूनतम 10 लाख रुपये एवं अधिकतम 75 लाख रुपये होगी।

5. आवेदन फार्म भरते समय स्कीम के बारे में दिशा–निर्देश (Annexure-B) का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए ।

6. पुरानी स्थापित सी0एच0सी0 भी नई परियोजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

7. किसान समूह/व्यक्तिगत किसान जिनके पास पहले से अपने ट्रैक्टर/कम्बाईन हारवैस्टर है उन्हें कस्टम हायरिंग सैन्टर (सी0एच0सी0) स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी ।

8. आवेदन फार्म साफ रूप से भरे जाने तथा अपेक्षित दस्तावेज (स्वयं सत्यापित) आवेदन फार्म के साथ संलग्न करने अनिवार्य है।

9. लाभार्थी के चयन के संबंध में संबंधित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डी0एल0ई0सी0) का निर्णय अन्तिम होगा।

10. लाभार्थी सूची जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डी0एल0ई0सी0) के अनुमोदन के बाद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित की जायेगी तथा संबंधित उप–कृषि

निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में उपलब्ध होगी । चयन के बारे में पत्र किसान समूह/सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजा जायेगा ।

11. चयनित लाभार्थी को चयन पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर कृषि उपकरण खरीद का बिल कार्यालय में जमा करना होगा ।

12. संबंधित उपायुक्त द्वारा नामांकित अधिकारियों की एक समिति बिल जमा करवाने के तुरन्त बाद लाभार्थी किसान समूह द्वारा खरीदे गए उपकरणों का भौतिक सत्यापन करेगी ।

13. अनुदान राशि बजट की उपलब्धता अनुसार भौतिक सत्यापन के 15 दिन के भीतर चयनित लाभार्थी(किसान समूह) के खाते में जमा करवा दी जायेगी ।

14. चयनित लाभार्थी किसान समूह को विभाग के साथ स्कीम की दिशा–निर्देशों में दिए गए प्रारूप–VI के अनुसार अनुबन्ध करना होगा । चयनित लाभार्थी (किसान समूह) को अनुबन्ध की शर्तों का पालन करना होगा ।

15. चयनित लाभार्थी (किसान समूह) को सूचित स्थान पर उचित शैड व लैन्डलाईन फोन की सुविधा सहित मशीनरी बैंक स्थापित करना तथा किसानों की सुविधा हेतु किराये की दर तथा मशीनों की उपलब्धता आदि बारे सूचना सूचना–पट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है ।

*****